5

भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल, ग्वालियर, कैम्प भोपाल

निग-3462-PBR/16

पुनरीक्षण याचिका कं :- पी.बी.आर. / 2016

प्रस्तुत दिनांक :- 3/10/16

याचिकाकर्तागण :-

1 राजेश आ0 देवाजी जाट

2 हरनाथ आ0 रामगोपाल जाट

दोनों कृषक,निवासी ग्राम अबगांव खुर्द, हरदा, तह0 जिला हरदा

विरुद्ध

उत्तरवादिनी :- श्रीमती रेखाबाई पत्नी रामविलास गूर्जर, निवासी ग्राम अबगांवखुर्द, हरदा, तह0 जिला हरदा

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50, म0 प्र0 भू रा0 संहिता, ओर से याचिकाकर्तागण

उपरोक्त याचिकाकर्तागण श्रीमान राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा सीमांकन प्रकरण कं 16/ अ-12 वर्ष 15-16 ग्राम अबगांवखुर्द में ग्राम पटवारी द्वारा प्रस्तुत किये गये तथाकथित सीमांकन दि0 16/6/16 के आधार पर प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन दि0 निरंक को अंतिमता प्रदान करने संबंधी समस्त कार्यवाही तथा सीमांकन की अनियमितता एवं अवैधानिकता से क्षुब्ध होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर अपनी यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करते हैं।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3462-पीबीआर/2016 **जिला हरदा**

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-4-18	आवेदक अधिवक्ता श्री दिलीप मिश्रा द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार पेटलावद जिला झाबुआ के प्रकरण का अवलोकन किया गया। सीमांकन के नोटिस की आवेदक पर तामीली हुई है। आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन व तर्क में प्रत्येक दिवस के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाते हुये उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 16-6-2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन कार्य नहीं किया गया था, इसलिये उन्हें सीमांकन की जानकारी नहीं हुई। आवेदक का उक्तकथन अभिलेख के विपरीत होकर उनके द्वारा इस तर्क के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये आवेदक द्वारा बताया गया विलम्ब का कारण समाधानकारक मान्य नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में 1992 आरएन 289 लंगरी(श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- "धारा - 5 - व्याप्ति - अधिकारिता की प्रकृति - वैवेकिक है - पक्षकार विलम्ब माफी के लिये अधिकार के रूप में हकदार नहीं है - पर्याप्त कारण का सबूत - अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये पुरोभाव्य शर्त है -न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढा सकता ।" अतः उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में यह निगरानी समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	